भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 405

उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा

405. **डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को संवैधानिक दर्जा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2017-18) की 53वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए एनसीएम अपनी वर्तमान स्थिति में "लगभग अप्रभावी" है;

(ग) एनसीएम द्वारा अब तक प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों की संख्या और उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनसीएम की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए एनसीएम अधिनियम, 1992 के अध्याय III के स्थान पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अधिनियम, 1993 के अध्याय III और IV को शामिल करने की एनसीएम की सिफारिश के संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क), (ख) और (घ): जी नहीं। फिलहाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को संवैधानिक दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थायी समिति ने अपनी 53वीं रिपोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और इसे अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए, इसे संवैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यकों के मुद्दों और समस्याओं से संबंधित अपनी सिफारिशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के लिए परिचालित की जाती हैं और सुधार किए जाते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है।

*****